कार्यालय वन मण्डल अधिकारी दक्षिण वनमण्डल शहडोल
जिला–शहडोल 484001 (म0प्र0)

फोन (कार्या–240304) (निवास–241443) (फैक्स–240304) ई–मेल– dfotsshahd@mpforest.org.

क्रमांक / मा.चि. / 2018 / 224 शहडोल, दिनांकः 3-2-18

प्रति,

मुख्य वन संरक्षक,
वन वृत्त शहडोल

विषयः– विकासखण्ड गोहपारू अन्तर्गत दियापीपर जलाशय योजना का वन प्रकरण प्रस्तुत करने बावत्।

संदर्भः– 1. कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग शहडोल का पत्र क्र. / 2820 दि. 04.10.2017

2. इस कार्यालय का पत्र क्रमांक / मा.चि. / 74 दिनांक 06.01.2018

3. आपका पत्र क्रमांक / मा.चि. / 394 दिनांक 11.01.2018

4. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू–प्रबंध) भोपाल का पत्र क्रमांक / एफ–3 / 2018 / 10–11 / 262 दिनांक 24.01.2018

5. कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग शहडोल का पत्र क्र. / 321 दि. 01.02.2018

–00–

विषयांकित संदर्भित पत्र क्रमांक–01 से कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग शहडोल ने विकासखण्ड गोहपारू के अन्तर्गत दियापीपर जलाशय योजना का प्रकरण ऑनलाईन कर प्रस्ताव की हार्ड कांपी कार्यालयीन पत्र क्रमांक / मा.चि. / 74 दिनांक 06.01.2018 से अनुमोदन हेतु आपको प्रेषित किया गया था।

संदर्भित पत्र क्रमांक–03 से आपके द्वारा प्रस्ताव में निम्नानुसार कमियां / त्रुटियां होने के कारण प्रस्ताव सुधार हेतु वापस किया गया है, संदर्भित पत्र क्रमांक–05 से कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग शहडोल ने दिये गये निर्देशानुसार प्रस्ताव में कमियां / त्रुटियां सुधार कर पुनः इस कार्यालय में भेजा गया है।

अतः प्रस्ताव सुधार उपरान्त अनुमोदन हेतु प्रेषित है, अनुमोदन देने का कष्ट करें बिन्दुवार विवरण निम्नानुसार हैः–

1. प्रकरण में पंजीयन एवं प्रोसेसिंग शुल्क का भुगतान कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग शहडोल ने जरिये भारतीय स्टेट बैंक शहडोल का बैंक ड्राफ्ट क्रमांक–777431 दिनांक 30.01.2018 से (रूपये 6000.00) से जमा किया गया है। जिसका समायोजन की कार्यवाही की जा रही है।
2. प्रस्ताव में 1:15000 के मानचित्र में हस्ताक्षर एवं शील की पूर्ति कर दी गई है।
3. आवेदित क्षेत्र 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान / अभ्यारण वन्यप्राणी कैरिडोर / वन जैव मण्डल का भाग नही है। प्रस्ताव में संलग्न प्रमाण–पत्र में हस्ताक्षर कर दिये गये हैं।
4. प्रस्ताव में संलग्न भाग–1 के ऑनलाइन प्रिन्ट के हार्ड कॉपी में वनमण्डलाधिकारी के हस्ताक्षर कर एवं सील अंकित कर दी गई है।

--2--

5. प्रस्तावित जलाशय निर्माण परिक्षेत्र गोहपारू के कक्ष क्रमांक-712 के आंशिक क्षेत्र 3.077 है वनभूमि प्रभावित होने का उल्लेख है, जबकि प्रस्तावित जलाशय में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता नियम-2008 के तहत श्रीमती श्याम बाई/रामलाल बैगा को 0.988 हे0 वनभूमि का पूर्व से हक प्रमाण-पत्र जारी किया गया है। उक्त भूमि 3.077 हे0 में सम्मिलित है।

6. प्रस्तावित वनभूमि पर खड़े वृक्षों की गणना सूची एवं अनुमानित उत्पादक पत्रक में आवेदक संस्थान एवं वन विभाग के अधिकारी/कर्मचारी के सील एवं हस्ताक्षर कर दिये गये हैं।

7. जिलन प्रकरणों में 5.00 हे0 से कम वनभूमि प्रभावित होती है संबंधित ग्राम का पटवारी नक्शा जिसमें निर्माण कार्य अलग-अलग रंगों में दर्शायी गयी हो संलग्न है।

8. प्रस्तावित वनभूमि पर खड़े वृक्षों की संख्या FRl, FRl-2 मीटर एवं FRl-4 मीटर के अनुसार मार्किंग बुक गोषवारा एवं स्टेमेटेड ईल्ड में अंकित कर दिया गया है।

9. आवेदक संस्थान द्वारा प्रस्ताव में 1:15000 एवं 1:50000 या अन्य स्केल के मानचित्र संलग्न किये गये हैं जो कार्यालयीन पत्र क्रमांक/मा.चि./7927 दिनांक 26.11.2015 तथा 6553 दिनांक 18.08.2017 के निर्देशों का पालन किया जायेगा।

उपरोक्त कमियों/त्रुटियों की पूर्ति कर प्रस्ताव अनुमोदन हेतु अनुशंसा सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संल0 नं0 प्रस्ताव 24 प्रति

वनमण्डलाधिकारी
दक्षिण वनमण्डल शहडोल
30/1/2018

पृ0क्रमांक/मा.चि./2018/ 225 शहडोल, दिनांकः 3-2-18

प्रतिलिपिः-

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग शहडोल का पत्र क्र./2820 दिनांक 04.10.2017 के तारतम्य में सूचनार्थ अग्रेषित।

वनमण्डलाधिकारी
दक्षिण वनमण्डल शहडोल
30/1/2018